तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज
6.11.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... 20.11.25 को पेश की जावे
20.11.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुनः मजिद बहस सुनी गई वाद वादी का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या :– 69/2022

1. देवीसिंह पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
2. शंकरसिंह पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
3. मोहनसिंह पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
4. गीताबाई पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
5. प्रेम पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. कालीबाई पिता शंकरलाल दरोगा निवासी सुवानिया तह0 बेगूं हाल पत्नी धन्नालाल दरोगा निवासी देदिया तहसील बेगूं
2. शंभू पिता गोपी दरोगा निवासी सुवानिया तहसील बेगूं
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
4. तहसीलदार साहब बेगूं भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूं

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :– 20.11.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–183–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम सुवानिया पटवार हल्का सुवानिया तहसील बेगूं में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की पैतृक आराजीयात निम्नलिखित स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
371	0.1200
372	0.4100
373	0.0200
375	0.4200
कीता–4 कुल रकबा	0.9700 हैक्टर

यह कि उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की पैतृक होकर परिवार का सजरा निम्नलिखित अनुसार है :–

गोपी
|
शंभू — भैरू — धूलीबाई

भैरू → शंकर → काली

धूलीबाई → देवीसिंह, शंकरसिंह, मानसिंह, गीता, प्रेम

यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात सम्वत 2031–34 खाता संख्या 34 में गोपी पुत्र भुरा दरोगा सा0देह क`नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी जो उनकी मृत्यु पश्चात जरिये नामान्तरण संख्या 5 से भैरू शंभु पिता गोपी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि गोपी जी के 3 वारिस भैरू व शंभू पुत्र एव धूली पुत्री के संयुक्त नाम दर्ज होना चाहिए थी। इस प्रकार उक्त आराजी गोपी की विरासत से भैरू (प्रतिवादी संख्या 2 के दादा) शंभू प्रतिवादीसं0. 1 एवं धूली (वादीगण की माता) के नाम दर्ज होना चाहिए थी जो दर्ज नहीं किये जाने से नामान्तरण संख्या 5 पर दिया गया निर्णय विधि विपरित होकर अवैध एवं शुल्य व वादीगण के अधिकारो के मुकाबले शुन्य है।

यह कि उक्त कलमसं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण की माता धूलीबाई का गोपी जी की पुत्री होने सें 1/3 हक हिस्सा निहित था जो उनकी मृत्य पश्चात वादीगण में निहित हो गया एवं वादीगण उक्त कृषि आराजीयात को अपना निहित हक हिस्सा 1/3 घोषित करा वाद घोषणा विभाजन करा पृथक कब्जे प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

यह कि वादीगण को जब यह जानकारी में आया कि उनकी माता को प्राप्त होने वाला हक राजस्व कर्मचारियो से मिल कर प्रतिवादी सं0 1 ने एवं 2 के दादा भैरू ने अपने नाम करा लिया तो वादीगण ने दिनांक 27.07.2022 को जब प्रतिवादी सं9 1 व 2 को तहसील कार्यालय में चल कर खाता में वादीगण का कानूनी रूप से प्राप्त होने वाला हक हिस्सा 1/3 वादीगण के नाम कराने की कहा तो उन्होने ने मना कर दिया इतना ही नहीं इन्होने तो इतनी धमकी दे दी कि हम तो जमीन ही अन्य को बैच देगें जो तुमसे बने पड कर लेना इसी कारण वादीगण को अपने अधिकारो की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जेयाबी हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करनें की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिंनाक 27.7.2022 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादीगण के हिस्से कों वादीगणं के नाम कराने से मना कराने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। राजस्व आराजीयात श्रीमान के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

धकार में स्थित होने से एवं आराजीयात की घोषणा के वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त होने से न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

यह कि राजस्व आराजीयात की घोषणा के वाद में राजस्थान राज्य एवं भूमिधारी जी आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी सं0 3 व 4 बनाये गये है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है :–

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का गोपी जी की पुत्र के पुत्र होकर वारिस होने से हिस्सा 1/3 बनता है जिसे वे राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के साथ साथ नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

(ब) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व 2 इस आशय की विभाजन की डिक्री प्रदान की जावे कि वाद घोषणा कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 2 के मध्य हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन करा खाता पृथक करा अंकन किया जावे व वादीगण को उनके हिस्से की आराजीयात का प्रतिवादी सं0 1 व 2 से कब्जा भी सिपुर्द किया जावें।

(स) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1,2 वावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। राज्य सरकार एवं भूमिधारी की ओर से तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आये किन्तु सरकार की ओर से कोई जवाव दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

दावा पत्रावली में वादीगण की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य शपथ पत्र वादी शंकरसिंह पिता देवासिंह दरोगा व प्रतिवादी शंभु पिता गोपी दरोगा के एवं गवाह सुन्दरलाल पिता चेना गंवार का प्रस्तुत किया गया।वादी शंकरसिंह पिता देवा सिंह द्वारा मुख्य परीक्षण में अपने बयान को कलमबद्ध कराते वक्त दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमवद्ध करा साक्ष्य वादीगण की पूर्ण की गई। मुख्य परीक्षण में मामला एक तरफा होने से जिरह निल रही एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है।

साक्ष्य वादीगण की एक तरफा पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार करते हुए वाद वर्णित कृषि आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषण करने का निवेदन किया है क्यो कि वादीगण की माता धूलीबाई पुत्री गोपी जी का हिस्सा वर्णित कृषि आराजीयात में होने से घोषणा की जाकर प्रतिवादीगण से उनके हक हिस्से का कब्जा वादीगण का दिलाये जाने का भी निवेदन अपनी बहस में किया गया है।

बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा सुवानिया प0ह0 सुवानिया की संवत 2078 का अवलोकन किया गया जिसमें दर्ज आराजी संख्या 371, 372, 373, 375 375 कीता– 4 रकबा 0.9700 हैक्टर भूमि के खातेदार कालीबाई पुत्री शंकर हिस्सा 1/2 एवं शंभु पुत्री गोपी हिस्सा 1/2 दरोगा दर्ज अंकित है। इसमें धूलीबाई पुत्री गोपी का नाम अंकित नहीं है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा सुवानिया की संवत 2031 से 2034 तक का अवलोकन किया गयां। जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 371, 372, 373, 374, 375380, 381, 382 कीता– 8 कुल रकबा 10बीघा के खातेदार गोपी पुत्र भूरा दरोगा अंकित है, जमाबंदी में नोट अंकित किया है कि जरिये इंतकाल संख्या 5 दिनांक 14.11.75 से गोपी के फोत होने से भैरू, शंभु पिता गोपी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श–3 नकल नामान्तरण संख्या 5 जो कि विरासत से खोला गया है। जिसमें गोपी पुत्र भूरा के बजाय भैरू, शंभु पिता गोपी के नाम से खोला गया है।

इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि वादीगण की माता धूलीबाई जो कि गोपी की पुत्र होना अंकित किया है उनका नाम गोपी की कृषि आराजी में दर्ज अंकित नहीं है, ना ही गोपी की मृत्यु के पश्चात खोले गये विरासत के इन्तकाल में उनके नाम का अंकन हुआ है, यदि वादीगण की माता धूलीबाई जो कि गोपी जी की पुत्र होना अंकित किया है तो धूलीबाई को उनकी जीवित अवस्था में अपने पिता गोपी जी की कृपि आराजीयात में अपना नाम अंकन कराने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए थी। कानूनन माता की सम्पत्ति में माता के जीवितावस्था में ही माता की सम्पति में हिस्सा प्राप्त हो सकता है, माता की मृत्यु की पश्चात हिस्सा प्राप्त किये जाने का अधिकार नहीं है। वादीगण का जब वर्णित कृषि भूमि में अधिकार ही नहीं है तो उन्हें कब्जा प्राप्त कर पाने का अधिकार वादीगण को नहीं है। वादीगण का वाद पत्र दस्तोवजी साक्ष्य सवूत से स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188–183–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सवूत से सिद्ध नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वाद संख्या :– 69 / 2022

1. देवीसिंह पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
2. शंकरसिंह पिता देवासिंह दरोगा निवासी माताजी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
3. मोहनसिंह पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
4. गीताबाई पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
5. प्रेम पिता देवासिंह दरोगा निवासी माता जी का खेडा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

वादीगण

वनाम

1. कालीबाई पिता शंकरलाल दरोगा निवासी सुवानिया तह0 बेगूँ हाल पत्नी धन्नालाल दरोगा निवासी देदिया तहसील बेगूँ
2. शंभू पिता गोपी दरोगा निवासी सुवानिया तहसील बेगूँ
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
4. तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88–188–183–53 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ..... की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88–188–183–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188–183–53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अंकित डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188–183–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ